राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2148/1999

श्री राम बेरवा---- याचिकाकर्ता।

बनाम

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री हेमंत जैन।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री डी. एस. राजवी।

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

07/02/2024.

1. याचिकाकर्ता यहाँ अपने खिलाफ दिनांकित 23.03.1989 कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलसचिव द्वारा पारित दिनांकित 05.03.1999 दंड आदेश (अनुलग्नक 7) को रद्द करने की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर उन्हें Rs.23,477/- की राशि की वसूली के साथ सेवा से हटाने की सजा दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत दिनांक 23.03.1989 (अनुलग्नक 1) का एक ज्ञापन दिया, जब वह राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। इस ज्ञापन का समर्थन आरोप और आरोप पत्र के एक बयान द्वारा किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार और धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। 2.2 याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र में एक जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत और आधारहीन हैं। याचिकाकर्ता और एक अन्य सह-सहायक डॉ. आर. एस. राणा के खिलाफ जांच करने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने जांच अधिकारी को बदलने का फैसला किया और विश्वविद्यालय ने डॉ. आर. वी. माहेश्वरी को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया। जाँच अधिकारी ने 21.05.1996 को नए सिरे से जाँच की कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही 21.05.96, 22.05.1996, 07.06.1996, 27.06.1996, 28.06.1996 और 29.06.1996 को हुई, लेकिन उन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 29.06.1996 को, जांच जारी

रखने के लिए सुनवाई की कोई और तारीख नहीं दी गई थी, लेकिन कार्यवाही को केवल स्थगित कर दिया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलसचिव द्वारा पारित दिनांक 05.03.1999 का एक आदेश प्राप्त करके आश्चर्यचकित था, जिसमें याचिकाकर्ता को हटाने का दंड लगाया गया था, साथ ही याचिकाकर्ता से की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत, यानी 23,477/- की वसूली की गई थी।

2.5 दिनांकित 05.03.1999 आदेश एक जांच रिपोर्ट को संदर्भित करता है; हालाँकि, याचिकाकर्ता के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया गया। 29.06.1996 के बाद, कोई जांच कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए, यह रिट याचिका लगाई गई है।

3. प्रत्यर्थियों द्वारा लिया गया बचाव यह है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं दिखा पाया है। याचिकाकर्ता को धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है और इस संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्षों की सही पुष्टि की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अकेले इसी आधार पर खारिज की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों के कई गलत कथन किए हैं, इसलिए, उसका आचरण उसे इस न्यायालय से किसी भी राहत के लिए अयोग्य ठहराता है।

4.उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों को सुना है।

5. आम तौर पर यह न्यायालय रिट याचिका को खारिज कर देता क्योंकि यह अपील के वैकल्पिक उपाय का सहारा लिए बिना दायर की गई है, जैसा कि उत्तरदाताओं की प्रारंभिक आपत्ति है। हालांकि, समय के सरासर बीतने को देखते हुए, यानी 24 वर्षों से अधिक, जिसके दौरान याचिका लंबित रही है, वैकल्पिक उपाय के आधार पर मामले को रिमांड पर लेना इस स्तर पर न्याय का उपहास

होगा।

6. तदनुसार, यह उचित माना जाता है कि प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटा जाए।

7. गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप धन के दुरुपयोग से संबंधित हैं और इसलिए गंभीर प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को देखने के बाद क्रमशः 1985-86,1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिए ऑडिट रिपोर्ट के अनुसरण में जांच अधिकारी द्वारा ये आरोप साबित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी ने कानून और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच की। विशेष रूप से, न तो कोई याचिका है और न ही कोई तर्क है, न ही रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि जांच नियमों के अनुसार नहीं की गई थी और याचिकाकर्ता पर धन के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया गया था।

8. क्रमशः 1985-86, 1986-87 और 1988-89 वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, डॉ. पी. सी. गुप्ता द्वारा पहले 16.07.1988 (अनुलग्नक आर1/2) को प्रारंभिक जांच की गई थी। रिपोर्ट में श्रीगंगानगर के कृषि ज्ञान केंद्र में धन के घोर दुरुपयोग का खुलासा हुआ, जहां याचिकाकर्ता को एल. डी. सी. के रूप में तैनात किया गया था। उर्वरकों, बीजों आदि से संबंधित स्टॉक रजिस्टर में भी सकल अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा, कैश-बुक के रखरखाव में भी अनियमितताएं पाई गईं, जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट (अनुलग्नक आर1/1) से स्पष्ट है।

9. डॉ. पी. सी. गुप्ता ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विशेष रूप से संकेत दिया गया कि याचिकाकर्ता ने डॉ. आर. एस. राणा के साथ श्रीगंगानगर के कृषि ज्ञान केंद्र में उर्वरक खरीद के लिए मांग पत्र, मंजूरी और आपूर्ति आदेशों के अभाव के कारण धन का

दुरुपयोग किया था। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, जैसा कि याचिकाकर्ता ने 18.11.1992 (अनुलग्नक R1/4) पर जांच अधिकारी के समक्ष दायर अपने जवाब में स्वीकार किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसके जवाब में जो कहा गया था, उसके अलावा उसके पास जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और कुछ नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.05.1990 की कार्यवाही से पता चलता है कि उसने पहले ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था और उसके पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं था।

10. यह पता चला है कि प्रारंभिक जांच के बाद डॉ. पी. जोशी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उन्होंने 29.01.1996 (अनुलग्नक R1/5) दिनांकित एक पत्र लिखा और जाँच करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

इसके बाद विश्वविद्यालय ने डॉ. आर. वी. माहेश्वरी, सहायक निदेशक, अनुसंधान निदेशालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को याचिकाकर्ता और सह-सहायक डॉ. आर. एस. राणा, सहयोगी प्रोफेसर के खिलाफ जांच करने के लिए दिनांक 12.03.1996 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया। इस प्रकार याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क देना गलत है कि विश्वविद्यालय ने अपनी मर्जी से पूछताछ अधिकारी को बदल दिया है। याचिकाकर्ता जांच कार्यवाही में किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, जिससे उसे कोई पूर्वाग्रह हो सकता है।

11. यहां यह भी प्रस्तुत करना उचित है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420,466,468 और 471 आई. पी. सी. के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। इसका परिणाम अदालत की फाइल के रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं है।

12. जो भी हो, मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।